अध्याय 3

भारतीय संघ की राजभाषा नीति और राजभाषा हिन्दी का विकास

- राजभाषा अधिनियम 1963 (यथासंशोधित 1967)
- राजभाषा नियम 1976
- संसद का भाषा नीति संबंधी संकल्प
- राजभाषा के प्रगामी प्रयोग हेतु संघीय व्यवस्था
- वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
- केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय
- राजभाषा (विधायी) आयोग
- शिक्षा मंत्रालय
- केन्द्रीय हिन्दी संस्थान
- केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो
- केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली
- राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए गठित विभिन्न समितियाँ
  - केन्द्रीय हिन्दी समिति
  - हिन्दी सलाहकार समितियाँ
  - केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति
  - नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां
- राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ

Chapter- 3

अध्याय 3

भारतीय संघ की राजभाषा नीति और राजभाषा हिन्दी का विकास

सन् 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ उसी समय इसकी नियम समिति ने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में यह निर्णय ले लिया था कि सभा की कामकाज की भाषा हिन्दुस्तानी या अंग्रेजी होगी। 14 जुलाई 1947 को यह संशोधन रखा गया कि 'हिन्दुस्तानी' के स्थान पर 'हिन्दी' शब्द रखा जाए। मतदान में हिन्दी के पक्ष में 63 मत और हिन्दुस्तानी के पक्ष में 32 मत पड़े। इसी प्रकार देवनागरी के विषय में हुए मतदान के पक्ष में 63 और विपक्ष में 18 मत पड़े। फरवरी 1948 में संविधान के प्रारूप में मात्र इतना उल्लेख था कि संसद की भाषा अंग्रेजी या हिन्दी होगी। इस प्रारूप पर हिन्दी के सम्बन्ध में पक्ष विपक्ष में अनेक मत प्राप्त होते रहे। पं. नेहरू ने एक अखिल भारतीय भाषा की आवश्यकता पर बल दिया और यह भी स्पष्ट किया कि स्वतंत्र देश को अपनी ही भाषा में राजकाज चलाना चाहिए। यह भाषा अंततः जनता के मध्य से ही विकसित होगी। 10 नवम्बर 1948 को स्टीयरिंग कमेटी में यह भी निश्चय किया गया कि साथ ही साथ संविधान हिन्दी में भी तैयार होना चाहिए। इस विषय पर मुख्य बहस अगस्त से सितम्बर 1949 में हुई। अगस्त में ही कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में भाषा पर काफी चर्चा हुई जिसमें द्विभाषिक स्थिति

पर प्रस्ताव पास किए गए और यह भी स्पष्ट किया गया कि अखिल भारतीय कामकाज के लिए भी 'स्टेट लैंग्वेज' होनी चाहिए। इसी बीच 6-7 अगस्त को हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के तत्वावधान में भी राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें नागरी लिपि में लिखी हिन्दी को एक मत से स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा में मत लेने पर 'हिन्दी' के पक्ष में 82 मत पड़े तथा अंग्रेजी के चलते रहने को 10 वर्ष की अवधि पर्याप्त मानी गई। दूसरा पक्ष 15 पक्ष की अवधि चाहता था। देवनागरी लिपि हो इस मुद्दे पर तो आम राय थी। बहस का मुख्य मुद्दा था कि हिन्दी का स्वरूप क्या हो ? एक प्रारूप समिति बनाई गई जिसमें आयंगर, टी.टी. कृष्णमाचारी अय्यर, मुंशी, अंबेडकर, सआदुलला तथा राव थे। साथ ही आज़ाद, पंत, टण्डन, नवीन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा के. संतानम का भी सहयोग लिया गया। 10 से 17 अगस्त तक तूफानी बैठकें चलती रहीं। 16 अगस्त को प्रारूप कमैटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें 10 वर्ष तक अंग्रेजी के चलते रहने की व्यवस्था थी जिसकी दो-तिहाई के बहुमत से संसद में पाँच वर्ष के लिए व्यवस्था रखी गई, साथ ही अंतरराष्ट्रीय अंको को मान्यता दी गई। बाद में 22 अगस्त को डॉ. अंबेडकर ने नया फार्मूला रखा जिसमें मुख्य व्यवस्थाएं इस प्रकार से थीं -

1. 15 वर्ष की अवधि का प्रस्ताव जिसको बाद में भी संसद बढ़ा सकती थी।
2. अंतरराष्ट्रीय अंक।
3. उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी।
4. प्रादेशिक भाषाओं की अनुसूचि।
5. भाषा आयोग आदि।

26 अगस्त को कांग्रेस पार्टी में इस विषय पर काफी बहस हुई पर मुख्य मुद्दा अंतरराष्ट्रीय अंकों को स्वीकार करने पर केन्द्रित रहा। इस विषय पर हुए मतदान में समान मत पड़े। इस मसले पर तीन बार मत पड़े और तीनों बार यही स्थिति रही। दिनांक 2-9-49 को सांय मुंशी आयंगर फार्मूला पेश हुआ। इस फार्मूले पर हुई

बहस का मुख्य मुद्दा अंकों का था। अंत में डॉ. श्यामा प्रसाद को कहना पड़ा, ' अंकों के मसले पर हम एक छोटा-मोटा युद्ध लड़ रहे हैं। यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर बहुमत से निर्णय हो। अगर उनमें से कुछ लोग हिन्दी अंकों के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय अंकों को मान्यता और अखिल भारतीय प्रयोग के विरुद्ध भी हैं और सोचते हैं कि यह न्याय संगत और उचित नहीं है, फिर भी चूंकि उनके प्रांत की भाषा को भारत के सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं इसलिए उनके अन्दर इतना राजनीतिक विवेक होना चाहिए कि वे उठ खड़े हों और कहें कि अपनी भावनाओं के बावजूद हम समझौते को स्वीकार करते हैं और संकल्प का अनुमोदन करते हैं।' मौलाना आज़ाद ने भी समझाने का प्रयास किया; 'यह अंक असल में हिन्दुस्तान की देन है। जो सदियों पहले हमने दुनिया को दिया था, उनको अपना कर हम अपनी चीज़ वापस ले रहे हैं।'

मसौदा प्रस्तुत करते हुए यह कहा गया था कि मसौदे के रचयिताओं के अनुसार हमारी मूल नीति यह होनी चाहिए कि संघ के कामकाज के लिए हिन्दी देश की सामान्य भाषा हो और देवनागरी सामान्य लिपि हो। मूल नीति का एक मुद्दा यह भी है कि सभी संघीय प्रयोजनों के लिए वे अंक काम में लाए जाएं जिन्हें भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप कहा जाता है।' मुख्य बहस 12 से 14 सितम्बर तक चली। संशोधनों की संख्या 400 तक पहुँच गयी थी। अंततः 14 सितम्बर को ही दोनों पक्षों में राजीनामा हुआ शाम 6 बजे तक सभी पहलुओं पर विचार विमर्श कर मुंशी आयंगर फार्मूले को कुछ सुधार कर स्वीकार कर लिया गया और आशा की गई कि सभी 400 संशोधन वापस ले लिए जाएंगे। इस प्रकार भारी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मुंशी-आयंगर फार्मूला स्वीकार कर हिन्दी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। मुंशी-आयंगर फार्मूले के नाम से विख्यात अनुच्छेद संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक हैं और साथ में संविधान के परिशिष्ट में अष्टम अनुसूची। इस अवसर पर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने बड़े मार्मिक ढंग से घोषणा की : 'आज पहली बार हम अपने संविधान में एक भाषा स्वीकार कर रहे हैं जो भारत संघ के

प्रशासन की भाषा होगी और समय की परिस्थितियों के अनुसार हमें इस भाषा का विकास करना होगा। हमें अपने देश का राजनैतिक एकीकरण सम्पन्न किया है। राजभाषा हिन्दी देश की एकता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक अधिक सुदृढ़ बना सकेगी। अंग्रजी की जगह भारतीय भाषा को स्थापित करने से हम निश्चय ही एक दूसरे के समीप आएंगे। हिन्दी में विगत में कई बार परिवर्तन हुए हैं और आज उसकी कई शैलियाँ है, पहले हमारा बहुत सा साहित्य ब्रजभाषा में लिखा गया था। अब हिन्दी में खड़ी बोली का प्रचलन है। मेरे विचार में देश की अन्य भाषाओं के सम्पर्क से उसका और भी विकास होगा। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिन्दी देश की अन्य भाषाओं से अच्छी-अच्छी बातें ग्रहण करेगी तो उससे उन्नति ही होगी अवनती नहीं होगी। अंग्रेजी के स्थान पर हमने एक भारतीय भाषा को अपनाया है, इससे अवश्यमेव हमारे संबन्ध घनिष्ठतर होंगे, विशेषतः इसलिए कि हमारी परम्पराएं एक ही हैं, हमारी संस्कृति एक ही है और हमारी सभ्यता में सब बातें एक ही हैं। यदि हम इस सूत्र को स्वीकार नहीं करते तो परिणाम यह होगा कि इस देश में बहुत सी भाषाओं का प्रयोग होता या वे प्रान्त प्रथक हो जाते जो बाध्य होकर किसी भाषा विशेष को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। हमने यथासम्भव बुद्धिमानी का कार्य किया है और मुझे हर्ष है और मुझे आशा है कि भावी संतति इसके लिए हमारी सराहना करेगी।'

संविधान सभा द्वारा राजभाषा संबंधी निर्णय होने के कुछ सप्ताह बाद ही एक समारोह के लिए तत्कालीन उपप्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 23-10-49 के अपने संदेश में लिखा था : 'विधान परिषद ने राष्ट्रभाषा के विषय में निर्णय कर लिया है इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ व्यक्तियों को इस फैसले से दुख हुआ। परन्तु जिस प्रकार और बातों में मतभेद हो सकता है उसीप्रकार इस विषय में भी यदि मतभेद है और रहे तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विधान में कई ऐसी बातें हैं जिनसे सबको संतोष होना असंभव है। परन्तु एक बार यदि विधान में कोई चीज़ शामिल हो जो तो उसको स्वीकार कर लेना सबका कर्तव्य है, कम से कम जब तक

कि ऐसी स्थिति पैदा न हो जाए जिसमें सर्वसम्मति से या बहुमत से फिर कोई तबदीली हो सके। अब जबकि हिन्दी को राष्ट्रभाषा की पदवी मिल गई है। यद्यपि कुछ वर्षों के लिए एक विदेशी भाषा के साथ-साथ उसको यह गौरव प्राप्त हुआ है, हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि राष्ट्रभाषा की उन्नति बढ़ावे और उसकी सेवा करे जिससे कि सारे भारत में वह बिना किसी संकोच या संदेह के स्वीकृत हो। हिन्दी का पाट महासागर की तरह विस्तृत होना चाहिए। जिसमें मिलकर और भाषाएं अपना बहुमूल्य भाग ले सकें। राष्ट्रभाषा न तो किसी प्रान्त की है न किसी जाति की। यह सारे भारत की भाषा है और इसके लिए यह आवश्यक है कि सारे भारत के लोग उसको समझ सकें और अपनाने का गौरव हासिल कर सकें।'

इस संदेश की मूल प्रति संविधान सभा के सदस्य तथा तेलगू और हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री मोटूरि सत्यनारायण के पास सुरक्षित है।

स्वाधीन भारत के संविधान में हिन्दी को भारत संघ की राजभाषा बनाने का निर्णय हमारे संविधान निर्माता तथा नेताओं ने किसी जल्दबाजी भावुकता में बह कर नहीं लिया था। यह एक सुनिश्चित निर्णय था और इसके पीछे स्वार्थ की भावना लेशमात्र भी नहीं थी। उन्होंने तपस्या का जीवन बिताया था और उनके निर्णय के पीछे स्वतंत्रता आंदोलन का अनुभव तथा राष्ट्र की भलाई की ही कामना थी। कई वर्षों के अनवरत परिश्रम के पश्चात् भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत को नया संविधान प्रदान किया। यह संविधान राष्ट्र की सर्वांगीण समृद्धि की कल्पना का मूर्तिमान स्वरूप है। इसमें न केवल नागरिकों के मौलिक अधिकारों, उनके उत्थान के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों, केन्द्र और राज्यों के परस्पर सम्बन्धों, न्यायपालिका और अर्थव्यवस्था के नियंत्रण आदि से सम्बन्धित व्यवस्थाओं का समावेश है बल्कि इसमें प्रशासन के सुचारू संचालन के लिए राजभाषा सम्बन्धी सुविचारित व्यवस्था भी दी गई है। वर्षों पूर्व राष्ट्र के शुभचिंतकों ने संघ शासन के लिए विदेशी भाषा के स्थान पर एक भारतीय भाषा की कल्पना की थी। संविधान में उनकी भावना मूर्तरूप में प्रकट

हुई और संविधान के अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। अतएव, हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में इसलिए अपनाया गया कि वह एक जनभाषा थी और स्वतंत्र जनमानस का निर्माण विदेशी भाषा से नहीं हो सकता था।

संविधान के विभिन्न उपबन्धों, अनुच्छेद 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350 (क), 350 (ख), 351, 120 (1) और (2) में संघ की राजभाषा नीति परिलक्षित होती है। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिन्दी होगी लेकिन 15 साल तक अंग्रेजी पहले की तरह चलती रहेगी। इस बीच राष्ट्रपति के आदेश से अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी का कुछ विषयों में उपयोग होता रहेगा। पन्द्रह साल बाद संसद चाहेगी तो अंग्रेजी को निर्दिष्ट विषयों के लिए जारी रखने का कानून बना सकती है। अनुच्छेद 344 में कहा गया है कि राष्ट्रपति संविधान लागू होने के पांच साल बाद एक आयोग गठित करेंगे जो पता लगाएगा कि हिन्दी का प्रयोग सरकारी का कामकाज में कैसे बढ़ाया जा सकता है और अंग्रेजी का प्रयोग कहां कितना कम किया जा सकता है। इसी अनुच्छेद के अन्तर्गत एक संसदीय समिति बनाने का उपबंध भी किया गया जिसका काम निश्चित किया गया कि वह उपर्युक्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करके राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देगी, ताकि राष्ट्रपति उन सिफारिशों को लागू करने के लिए आदेश जारी कर सकें। अनुच्छेद 348 संसद, विधान सभाओं तथा अदालतों में हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में है। इसमें कहा गया है कि 15 साल तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाही संसद तथा विधानसभाओं के विधेयकों, अधिनियमों, नियमों-विनियमों की भाषा अंग्रेजी रहेगी किन्तु राष्ट्रपति की सहमति से राज्यों के राज्यपाल उच्च न्यायालय की कार्यवाही को हिन्दी या राज्य की स्वीकृत भाषा में चलाने की अनुमति दे सकते हैं। किन्तु यह प्रयोग उच्च न्यायालयों के निर्णयों और आदेशों में नहीं किया जा सकेगा। 15 साल तक इस स्थिति में परिवर्तन करने के लिए कोई विधेयक संसद में तभी प्रस्तुत किया जाएगा जब राष्ट्रपति

भाषा आयोग और संसदी समिति की सिफारिशों पर विचार करने का बाद इस पर सहमत होंगे। संसद की कार्यवाही की भाषा के बारे में अनुच्छेद 120 में कहा गया है कि कार्यवाही हिन्दी या अंग्रेजी में चलेगी किन्तु अध्यक्ष किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। जो व्यवस्था हिन्दी के लिए की गई, लगभग वैसी ही व्यवस्ता प्रादेशिक भाषाओं के लिए भी अनुच्छेद 345 और 346 में की गई। इनमें कहा गया कि राज्य विधानसभा राज्य की किसी एक या एक से अधिक भाषा को या हिन्दी को सरकारी कामकाज के लिए अपना सकती है। किन्तु पहले 15 साल तक अंग्रेजी का प्रयोग पूर्ववत् चलता रहेगा। राज्यों के बीच पत्रव्यवहार संघ की भाषा में चलेगा किन्तु दो राज्य यदि आपस का पत्र व्यवहार हिन्दी में करना चाहें तो कर सकते हैं। अनुच्छेद 351 के अनुसार हिन्दी भाषा की प्रसार वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं (1. असमी, 2. बंगला, 3. गुजराती, 4. हिन्दी, 5. कन्नड़, 6. कश्मीरी, 7. मलयालम, 8. मराठी, 9. उड़िया, 10. पंजाबी, 11. संस्कृत, 12. सिंधी, 13. तमिल, 14. तेलगु, 15. उर्दू, 16. कोंकणी, 17. मणीपुरी, 18. नेपाली) के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात् करते हुए तथा जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि करना संघ का कर्तव्य होगा। संविधान में 'राष्ट्रभाषा' शब्द का यद्यपि कहीं प्रयोग नहीं किया गया है तथापि उसके अनुच्छेद 351 में हिन्दी के राष्ट्रभाषा रूप की ही कल्पना की गई है। जिन दिनों संविधान सभा में भाषा के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा हुई अनेक सदस्यों ने हिन्दी के लिए राष्ट्रभाषा शब्द का ही प्रयोग किया था। इससे संविधान सभा के सदस्यों की भावना का पता चलता है।

उपर्युक्त विवरण से पता चलता है कि हमारे संविधान निर्माता अंग्रेजी के स्थान

पर केन्द्र में हिन्दी को और प्रदेशों में प्रादेशिक भाषाओं को लाना चाहते थे ताकि राजकाज ठप्प न हो जाए। इसी बीच हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग को बढ़ाना चाहते थे। पंद्रह साल बाद अंग्रेजी को पूर्ण रूप से हटाने की व्यवस्था इसलिए नहीं की गई कि सम्भव है कि हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं के क्रमिक प्रयोग में कुछ समय की आवश्यकता और पड़े। किन्तु उनकी नियत स्पष्ट थी कि अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं को अन्ततः लाना है। अन्य बात जो यहां स्पष्ट होती है वह यह थी कि यह समस्या अंग्रेजी बनाम हिदी की नहीं बल्कि अंग्रेजी बनाम भारतीय भाषाओं की है। संविधान के लागू होने के लगभग आधी सदी के बाद जब हम अपनी उपलब्धियों पर विचार करते हैं तो हमें काफी निराशा होती है इस बात पर किं संविधान निर्माताओं ने और जनता ने भी जो उम्मीद की थी वह पूरी नहीं हुई।

अस्तु, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 344 में कहा गया था, राष्ट्रपति ने 1955 में भाषा आयोग बिठाया। उसकी रिपोर्ट पर संसदीय समिति ने विचार किया और फिर 25 अप्रेल 1960 को राष्ट्रपति की ओर से राजभाषा के रूप में हिन्दी के विकास के लिए कुछ कदम उठाए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कदम था शिक्षा मंत्रालय के अधीन शब्दावली आयोग तथा केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना। इसी आदेश के अन्तर्गत गृह मंत्रालय में सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी में कामकाज का प्रशिक्षण देने के लिए हिन्दी शिक्षण योजना शुरु की गई और हिन्दी के टाइपिस्ट तथा आशुलिपिक तैयार करने का काम भी गृह मंत्रालय को सौंपा गया। इसके अतिरिक्त अहिन्दी भाषी राज्यों के लिए हिन्दी अध्यापक तैयार करने के उद्देश्य से आगरा में केन्द्रीय हिन्दी संस्थान बना और उसकी शाखाएं अन्य स्थानों पर भी स्थापित हुई। अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोगों को हिन्दी सिखाने के लिए हिन्दी निदेशालय में पत्राचार पाठ्यक्रम भी शुरु हुआ। प्रशासनिक साहित्य के अनुवाद के लिए गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो बना। विधि साहित्य के अनुवाद के लिए विधि मंत्रालय के अधीन अलग व्यवस्था हुई। सभी मंत्रालयों तथा उनके विभागों, संबद्ध कार्यालयों,

सरकारी तथा अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठानों में हिन्दी विभाग खोले गए और राजभाषा के प्रयोग के सारे काम की निगरानी समीक्षा के लिए गृहमंत्रालय में प्रथक राजभाषा विभाग बना। सरकारी कर्मचारियों में हिन्दी भाषा और साहित्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने, सरकारी कामकाज में हिन्दी भाषा के प्रयोग के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने तथा हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग का प्रचार और प्रसार करने के उद्देश्य से 1960 में केन्द्रीय सविचालय हिन्दी परिषद नाम की एक संस्था गठित की गई।

इन सभी संस्थाओं के माध्यम से गत वर्षों में हिन्दी भाषा को राजकाज के विभिन्न उत्तरदायित्वों को वहन करने में सक्षम बनाया गया। लगभग समस्त प्रशासनिक साहित्य का अनुवाद, विभिन्न वैज्ञानिक और मानविकी विषयों के लगभग 5 लाख शब्दोंका निर्माण, विश्व प्रसिद्ध मानक ग्रंथों का अनुवाद, लाखों कर्मचारियों का हिन्दी प्रशिक्षण आदि कार्यों को वस्तुतः भाषायी क्रांति कहा जा सकता है।

राजभाषा अधिनियम 1963 (यथासंशोधित 1967)

10 मई 1963 को संसद द्वारा राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। इसमें कुल 9 धाराएं हैं और इसे 26 जनवरी 1965 से लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा संघ सरकार के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग के साथ-साथ अंग्रेजी के भी चलते रहने की व्यवस्था की गई। 1967 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और यह व्यवस्था की गई कि जिन राज्यों ने हिन्दी को अपनी राज्यभाषा के रूप में नहीं अपनाया है उनके साथ केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से केवल अंग्रेजी में पत्रव्यवहार किया जाएगा। हिन्दी भाषी राज्य भी उनके साथ ऐसा ही करेंगे . किन्तु यदि ऐसे राज्य आपस की सहमति से यह व्यवस्था करें कि वे परस्पर हिन्दी में पत्र व्यवहार करेंगे तो उन्हें ऐसा करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। इस संशोधित अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गई है कि अंग्रेजी का प्रचलन तब तक बना रहेगा जब तक अहिन्दी भाषी राज्य सरकारें अपनी विधानसभाओं द्वारा अंग्रेजी के प्रयोग को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित नहीं करती और जब तक उनके आधार पर संसद द्वारा

भी ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं कर दिया जाता। किन्तु इस संशोधन के साथ केन्द्र तथा हिन्दी भाषी राज्यों द्वारा परस्पर हिन्दी में ही पत्र व्यवहार करने की व्यवस्था भी की गई है। इतना ही नहीं केन्द्रीय कार्यालयों के कुछ प्रमुख प्रलेखों को अनिवार्यतः हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में जारी किए जाने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार केन्द्रीय प्रशासन में एक द्विभाषिक स्थिति प्रारम्भ हुई जिसके लम्बे समय तक चलते रहने की सम्भावना लगती है।

राजभाषा अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्न प्रकार से हैं :-

1. अधिनियम की धारा 3 के अनुसार (क) संघ के उन सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए जिनके लिए 26 जनवरी 1965 के तत्काल पहले अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा था और (ख) संसद के कार्य के लिए 26 जनवरी 1965 के बाद भी हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। साथ ही जिन राज्यों ने हिन्दी को अपनी राज्यभाषा घोषित नहीं किया उन्हें पत्रादि में अंग्रेजी के प्रयोग का अधिकार होगा तथा उनके साथ हिन्दी भाषी राज्यों की सरकारें अंग्रेजी में पत्रव्यवहार करेंगी और यदि उनके द्वारा उक्त राज्यों को कोई पत्र हिन्दी में भेजा जाता है तो साथ में उसका अंग्रेजी अनुवाद भी भेजा जाएगा। पारस्परिक समझौते से यदि कोई भी दो राज्य आपसी पत्रव्यवहार में हिन्दी का प्रयोग करें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। (धारा 3(1))
2. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों आदि के बीच तब तक हिन्दी अथवा अंग्रेजी प्रयोग में लाई जाती रहेगी जब तक सम्बंधित कार्यालय आदि के कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते। स्थिति के अनुसार अंग्रेजी के साथ हिन्दी या हिन्दी के साथ अंग्रेजी अनुवाद आवश्यक होगा। (धारा 3(2))
3. अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग अनिवार्य है - 1. संकल्प, 2. सामान्य आदेश, 3. नियम, 4. अधिसूचनाएं, 5. प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें, 6. प्रेस

विज्ञप्तियाँ, 7. संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें, 8. सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले सरकारी कागज-पत्र, 9. संविदाएं, 10. करार, 11. अनुज्ञाप्तियां, 12. अनुज्ञापत्र, 13. निविदा सूचना, 14. निविदा प्रपत्र।

4. जब तक कोई राज्य अंग्रेजी में प्रयोग समाप्त कर देने का संकल्प पारित नहीं कर लेते तब तक उन्हें अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की छूट रहेगी। (धारा 3 (5))

5. धारा 4 में एक ऐसी राजभाषा समिति बनाने का प्रावधान है जो अधिनियम के लागू होने की तिथि अर्थात 26-01-65 के दस वर्ष पश्चात राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से गठित की जाएगी। इसका गठन संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाएगा जिसमें लोकसभा के बीस और राज्यसभा के दस सदस्य होंगे। समिति का दायित्व होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करके अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगी। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को सदन के दोनों सदनों के सामने रखवाएंगे और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएंगे। रिपोर्ट पर राज्य सरकारों से कोई अभिमत प्राप्त न होने पर राष्ट्रपति उस रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार आदेश जारी कर सकेंगे।

6. अधिनियम की धारा 8 में केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि इस अधिनियम (1963) के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी जिन्हें शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

राजभाषा नियम 1976

राजभाषा अधिनियम की उक्त धारा-8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1976 में 'राजभाषा नियम' 1976 लागू किया। 9 अक्टूबर 1987 को राजभाषा नियम में कुछ संशोधन किए गए। इस राजभाषा नियम की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं -

1 यह नियम संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग से संबन्धित है।

2. यह तमिलनाडू को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागू होता है।

3. इसके अनुसार 'क' क्षेत्र के राज्यों - उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, अण्डमान-निकोबार - द्वारा आपसी या संघ (केन्द्र) के साथ पत्र व्यवहार में सामान्यतः हिन्दी का प्रयोग होगा। 'ख' क्षेत्र के राज्यों - पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ - के आपसी या संघ से पत्र व्यवहार में सामान्यतः हिन्दी का प्रयोग होगा। यदि किसी को अंग्रेजी में पत्र भेजा जाएगा तो उसके हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा। इन राज्यों में रहने वाले किसी व्यक्ति को हिन्दी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में पत्र भेजा जा सकता है। 'ग' क्षेत्र के राज्यों ('क' व 'ख' क्षेत्र के राज्यों के अलावा शेष सभी राज्य) के आपसी अथवा संघ क्षेत्र या अन्य राज्यों के साथ पत्र व्यवहार में अंग्रेजी का प्रयोग होगा।

4. केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों विभागों आदि के कार्यालयों का आपसी व्यवहार हिन्दी या अंग्रेजी किसी में भी हो सकता है। क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय कार्यालयों का आपसी पत्र व्यवहार केवल हिन्दी में ही किया जाना चाहिए।

5. हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर केन्द्रीय कार्यालयों से हिन्दी में ही भेजे जाएंगे।

6. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) में बताए गए सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा। इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों / अधिकारियों की होगी।

7. केन्द्रीय कर्मचारी आवेदन, अपील, अभ्यावेदन आदि हिन्दी या अंग्रेजी में प्रस्तुत कर सकते हैं। हिन्दी में प्रस्तुत या हस्ताक्षरित आवेदन का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाएगा।

8. केन्द्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी फाइलों पर हिन्दी या अंग्रेजी में टिप्पणी या मसौदे लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका

अनुवाद दूसरी भाषा में भी प्रस्तुत करे।

9. उन कर्मचारियों को हिन्दी में प्रवीण माना जाएगा जिन्होंने (क) मैट्रिक या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली हो। (ख) स्नातक या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो, (ग) जो यह घोषणा करे कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

10. जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत या अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हो गया है उन्हें राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने से तात्पर्य है (क) मैट्रिक या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण करना (ख) केन्द्रीय सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत प्राज्ञ परीक्षा पास कर लेना, (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा पास कर लेना (घ) कर्मचारी द्वारा यह घोषणा करने पर कि उसने हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

11 केन्द्रीय सरकार के सभी मैन्युअल, संहिताएं, प्रक्रिया सम्बन्धी अन्य साहित्य हिन्दी और अंग्रजी द्विभाषिक रूप में होगा। सभी फार्मों, रजिस्टरों के शीर्ष, नामपट्ट, स्टेशनरी आदि को हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में द्विभाषिक रूप में प्रकाशित कराया जाएगा।

12 केन्द्रीय कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख की यह जिम्मेदारी होगी कि वह उपर्युक्त उपबन्धों का नियमानुसार पालन सुनिश्चित करें।

सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए राजभाषा नियम 1976 एक महत्वपूर्ण कदम था। इन नियमों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप सरकारी कार्यालयों सार्वजनिक उपक्रमों एवम् बैंकों आदि में हिन्दी प्रयोग की स्थिति सुदृढ़ हुई है। इन नियमों के बनने से पूर्व जो आदेश जारी होते थे उनमें हिन्दी प्रयोग के सम्बन्ध में

'यथासंभव' लिया जा सकेगा आदि अनिश्चयात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता था जिसका स्थान इन नियमों के फलस्वरूप 'किया जाएगा' जैसे निश्चयात्मक शब्दों द्वारा ले लिया गया। इससे कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति मानसिकता बदलने में सहायता मिली और परिणाम स्वरूप हिन्दी का प्रयोग भी बढ़ने लगा।

संसद का भाषानीति सम्बन्धी संकल्प

सरकार का राजभाषा सम्बन्धी संकल्प 18 जनवरी 1968 को राजभाषा अधिनियम 1967 के साथ पारित हुआ। यह भाषा नीति के उन पहलुओं से सम्बन्धित है जिनका अधिनियम में उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन जो हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिए योजना तैयार करने के लिए आवश्यक समझे गए। संकल्प का पहला परिच्छेद निम्नवत् है :-

1 जबकि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अन्तर्गत हिन्दी भाषा का प्रचार करना और उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, संघ का कर्त्तव्य है।

यह सभा संकल्प करती है कि हिन्दी के प्रसार और विकास की गति बढ़ाने हेतु तथा संघ के विभिन्न प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवम् व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे क्रियान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवम् की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के सदनों के पटल पर रखी जाएगी और सभी राज्य सरकारों को भेजी जाएगी।

2. जबकि संविधान की अष्टम् अनुसूची में हिन्दी के अतिरिक्त भारत की 14 प्रमुख भाषाओं (अब 18) का उल्लेख किया गया है और देश की शैक्षणिक और सांस्कृतिक प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के सम्पूर्ण विकास हेतु सामूहिक उपाय किए जाएं।

यह सभा संकल्प करती है कि हिन्दी के साथ-साथ इस सभी भाषाओं के समन्वित विकास हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा ताकि वे शीघ्र समृद्ध हों और आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बने।

3 जबकि एकता की भावना के संवर्द्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता के संचार की सुविधा हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए त्रिभाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी किया जाए।

यह सभा संकल्प करती है कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भाषा के दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए और अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवम् अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में यह कहना उचित होगा कि यदि इस त्रिभाषी सूत्र का अनुपालन सही रूप से किया जाता तो देश की भाषा सम्बन्धी कई समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाता।

4. और जबकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संघ की लोक सेवाओं के विषय में देश के विभिन्न भागों के लोगों के न्यायोचित दावों और हितों का पूर्ण परित्राण किया जाए।

यह सभा संकल्प करती है (क) कि उन विशेष सेवाओं और पदों को छोड़कर जिनके लिए ऐसी किसी सेवा अथवा पद के कर्त्तव्यों के संतोषजनक निष्पादन हेतु केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिन्दी अथवा दोनों जैसी स्थिति हो, का उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाए, संघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से

किसी एक का ज्ञान अनिवार्यतः अपेक्षित होगा, और (ख) कि परिक्षाओं की भावी योजना, प्रक्रिया संबंधी पहलुओं एवम् समय के विषय में संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात् अखिल भारतीय एवम् उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं सम्बन्धी परिक्षाओं के लिए संविधान की आठवी अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति होगी।

राजभाषा संकल्प के पैरा 4(क) को आंशिक रूप से और 4(ख) को अधिकांश रूप से क्रियान्वित किया जा चुका है। अनेक परीक्षाओं में इस बात की छूट दी जा चुकी है कि उम्मीदवार अंग्रेजी के अलावा अन्य विषयों के प्रश्नपत्रों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी किसी भी भाषा में दे सकते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाओं में बैठने वाले कई अभ्यर्थी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। संकल्प के विवेचन से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि संसद के दोनों सदनों ने इस संकल्प को पारित करके भारत सरकार को यह निर्देश दिया और केन्द्रीय सरकार पर यह दायित्व डाला कि वह राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयत्न करे।

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग हेतु संघीय व्यवस्था

संविधान के अनुच्छेद 343 (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का और भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप के अतिरिक्त, अंकों के देवनागरी स्वरूप का प्रयोग, राज्यों के राज्यपालों, उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के अधिपत्रों के लिए प्राधिकृत किया गया।

राष्ट्रपति का दूसरा आदेश गजट में 3 दिसम्बर 1935 को गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया। इस आदेश के अन्तर्गत सरकारी कामकाज में हिन्दी भाषा के प्रयोग का क्षेत्र और विस्तृत कर दिया गया तथा निम्नलिखित सरकारी प्रयोजनों के

लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का प्रयोग किए जाने की अनुमति प्रदान की गई।

1 जनता के साथ पत्र व्यवहार।

2 प्रशासनिक रिपोर्टें, राजकीय पत्रिकाएं और संसद में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टें।

3 सरकारी संकल्प और विधायी अधिनियमितियाँ।

4 उन राज्य सरकारों के साथ पत्र व्यवहार जिन्होंने राजभाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार कर लिया हो।

5 संधि पत्र तथा करारनामा।

6 विदेशी सरकारों, उनके राजदूतों तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारतीय प्रतिनिधियों के नाम जारी किए जाने वाले औपचारिक दस्तावेज।

राष्ट्रपति ने संघीय राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के सम्बन्ध में 27 अप्रेल 1960 को एक आदेश और जारी किया। इस आदेश के मुख्य निर्देश इस प्रकार हैं -

1 वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के निर्माण के लिए शिक्षामंत्रालय को एक स्थायी आयोग स्थापित करना चाहिए। शब्दावली तैयार करने में मुख्य लक्ष्य स्पष्टता, यथार्थता और सरलता होनी चाहिए। आवश्यकता होने पर अन्तरराष्ट्रीय शब्दावली भी अपनाई जा सकती है।

2 शिक्षा मंत्रालय सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों के अतिरिक्त सभी मैनुअलों तथा कार्यविधि-साहित्य का अनुवाद हाथ में ले और भाषा में एकरूपता सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह काम केवल एक एजन्सी को ही सौंपा जाए।

3 सेवाकालीन हिन्दी प्रशिक्षण उन हिन्दी कर्मचारियों के लिए आवश्यक कर दिया जाना चाहिए जो 45 वर्ष से कम आयु के हैं। गृहमंत्रालय टंककों और आशुलिपिकों को हिन्दी टंकण तथा आशुलिपि का प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध करे और शिक्षा मंत्रालय हिन्दी टाइपराइटरों के मानक कुंजी पटल के विकास के

लिए शीघ्र कदम उठाए।

4 केन्द्र सरकार का शिक्षा मंत्रालय हिन्दी प्रचार की जिम्मेदारी ले और इस कार्य में लगी गैर सरकारी संस्थाओं की वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता करे। शिक्षा मंत्रालय, वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक मंत्रालय परस्पर मिल कर भाषा विज्ञान, भाषा शास्त्र और साहित्य संबंधी अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक कार्य करे और विभिन्न भारतीय भाषाओं को परस्पर निकट लाने के लिए अनुच्छेद 351 में दिए गए निर्देश के अनुसार हिन्दी का विकास करने के लिए आवश्यक योजना तैयार करे।

5 केन्द्रीय सरकारी विभागों के स्थानीय कार्यालय अपने आंतरिक कार्यों के लिए हिन्दी का प्रयोग करें और जनता के साथ पत्र व्यवहार में उन प्रदेशों की प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करें। केन्द्रीय सरकार की नौकरी के लिए उम्मीदवार को हिन्दी का सामान्य ज्ञान हो।

6 प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए अंग्रेजी और हिन्दी दोनों ही परीक्षा के माध्यम रहें। रक्षा मंत्रालय को चाहिए कि वह प्रवेश परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग शुरू करने के लिए आवश्यक कार्यवाई करे।

7 अखिल भारतीय और उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं की भरती परीक्षाओं में कुछ समय के पश्चात् वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग शुरू करने के लिए संघ लोकसेवा आयोग के साथ परामर्श करके गृहमंत्रालय आवश्यक कार्यवाही करे।

8 केन्द्रीय मंत्रालयों के हिन्दी प्रकाशनों में अंतरराष्ट्रीय अंकों के अतिरिक्त देवनागरी अंकों के प्रयोग के सम्बन्ध में एक आधारभूत नीति अपनाई जाए।

9 संसदीय विधियों के प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद की व्यवस्था के लिए विधि मंत्रालय आवश्यक विधेयक उचित समय पर प्रस्तुत करे।

10 जहाँ तक उच्चतम न्यायालय की भाषा का प्रश्न है उसकी भाषा इसके परिवर्तन

का समय आने पर अंततः हिन्दी होनी चाहिए। उच्च न्यायालयों के निर्णयों आज्ञप्तियों और आदेशों के प्रयोजनों के लिए हिन्दी और राज्यों की राजभाषाओं का प्रयोग विकल्पतः किया जा सकेगा। इस बाबत विधि मंत्रालय एक आवश्यक विधेयक राष्ट्रपति की पुर्वानुमति से उचित समय पर पेश करे।

11 समिति के सुझाव के अनुसार विधि मंत्रालय सर्वमान्य विधि शब्दावली की तैयारी और संविधियों के हिन्दी अनुवाद संबंधी पूरे कार्य के लिए समुचित योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने के लिए भारत की विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विधि विशेषज्ञों का एक स्थायी आयोग गठित करे।

12 गृहमंत्रालय संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की एक योजना बनाए और उसे कार्यान्वित करे।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना राष्ट्रपति के दिनांक 27 अप्रेल 1960 के आदेश के अनुसार अक्टूबर 1961 में हुई। आयोग के कार्य थे-

1. राष्ट्रपति के उपर्युक्त आदेश के पैरा-3 में दिए निर्देशों का अनुपालन करते हुए वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के क्षेत्र में अब तक किए गए कार्यों का पुनरीक्षण करना।
2. हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के निर्माण तथा समन्वय से सम्बन्धित सिद्धांत निर्धारित करना।
3. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के क्षेत्र में राज्यों में विभिन्न एजन्सियों द्वारा किए गए कार्य का समन्वय करना।
4. नवनिर्मित शब्दावली का प्रयोग करते हुए विज्ञान की मानक पाठ्यपुस्तकें तैयार करना।

आयोग ने चिकित्सा मानविकी, कृषि तथा समाज विज्ञान के विषयों पर स्नातक स्तर की शब्दावली का सर्जन करने में काफी प्रगति की है। आयोग ने 1990 तक

वैज्ञानिक तथा मानविकी विषयों के लगभग 5 लाख शब्दों का निर्माण किया है और रक्षा, डाक, तार, रेल, सूचना प्रसारण, परिवहन आदि से सम्बन्धित शब्दावली तैयार की है।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

राजभाषा आयोग तथा संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों के आधार पर राजभाषा हिन्दी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए मार्च 1960 में शिक्षा मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना की गई। राष्ट्रपति के 27 अप्रेल 1960 के आदेशानुसार केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय को केन्द्रीय सरकार के सभी असांविधिक मैनुअलों, फार्मों, नियमों एवं विनियमों आदि के हिंन्दी अनुवाद का कार्य सौंपा गया। निदेशालय द्वारा कई शब्दकोशों, द्विभाषिक शब्दकोशों और हिन्दी विश्वकोशों आदि का संकलन किया जा चुका है। निदेशालय ने अहिन्दी भाषियों और विदेशियों के लिए कुछ हिन्दी पाठ्य श्रंखला भी तैयार की है और वह अहिन्दी भाषी राज्य के हिन्दी लेखकों को उनकी साहित्यिक कृतियों के लिए पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित करता है। निदेशालय के प्रयासों के फलस्वरूप हिन्दी टाइप राइटर और हिन्दी टेलीप्रिंटर के कुंजी पटल को अंतिम रूप दिया गया।

राजभाषा विभाग

संविधान के राजभाषा संबंधी उपबंधों तथा यथा संशोधित राजभाषा अधिनियम के उपबंधों के कार्यावयन एवं संघ सरकार के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए गृहमंत्रालय के स्वतंत्र विभाग के रूप में 26 जून 1975 को राजभाषा विभाग की स्थापना की गई। तब से यह विभाग संघ के सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने की ओर प्रयासरत है। इस विभाग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं -

1. संविधान के राजभाषा से संबंधित उपबंधों तथा राजभाषा अधिनियम 1963 के उपबंधों का कार्यान्वयन।

2. राज्य के उच्चन्यायालयों की कार्यवाहियों में अंग्रेजी भाषा से भिन्न किसी भाषा का सीमित प्रयोग प्राधिकृत करने के लिए राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन।
3. संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मामले।
4. राष्ट्रपति के 27 अप्रेल 1960 के आदेश, राजभाषा अधिनियम 1963 और 18 जनवरी 1968 के राजभाषा संकल्प के उपबंधों के संदर्भ में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए जा रहे राजभाषा से सम्बन्धित कार्यों का समन्वय।
5. केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन और संवर्ग का प्रबंधन।
6. केन्द्रीय हिन्दी समिति और उसकी उपसमितियों से संबंधित मामले।
7. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्थापित हिन्दी सलाहकार समितियों से संबंधित कार्य समन्वय।
8. केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित कार्य।

राजभाषा (विधायी) आयोग

विधि मंत्रालय के अधीन राजभाषा (विधायी) आयोग प्रथम राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय राजभाषा समिति के सुझावों पर संविधियों के अनुवाद और विधिशब्दावली तथा कोशों से संबंधित संपूर्ण कार्यक्रम की समुचित योजना बनाने और उसे कार्यांवित करने के लिए स्थापित किया गया था। यह एक स्थायी आयोग है। आयोग ने भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882, सिविल प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय संविदा अधिनियम जो विश्वविद्यालय में दी जाने वाली विधि शिक्षा के प्रमुख अंग हैं, का हिन्दी पाठ तैयार किया। विधिशब्दावली प्रकाशित की। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 5(1) के अधीन सैंकड़ों कानूनी नियमों, विनियमों आदि का प्राधिकृत हिन्दी पाठ आयोग द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है। धारा 5(2) के अनुपालन में संसद के किसी भी सदन के पटल पर सभी विधेयकों के अंग्रेजी पाठ के साथ-साथ हिन्दी पाठ भी दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाते हैं।

शिक्षा मंत्रालय

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय पर हिन्दी संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं के विकास और प्रसार करने का सबसे अधिक दायित्व डाला गया है। इसके विभिन्न कार्यक्रमों के तहत हिन्दी शिक्षा समिति की स्थापना, स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को वित्तीय सहायता, हिन्दी परीक्षा को मान्यता, विचार गोष्ठियाँ, व्याख्यान दौरे, पुस्तक प्रदर्शनियाँ, हिन्दी पुस्तकों का निशुल्क वितरण, अखिल भारतीय हिन्दी संस्था आदि की स्थापना, राज्य सरकारों को हिन्दी प्रचार के लिए वित्तीय सहायता, हिन्दी अध्यापकों की नियुक्तियाँ एवं प्रशिक्षण एवं छात्रवृत्तियाँ देना, हिन्दी की पारिभाषिक एवं द्विभाषिक शब्दावली का निर्माण, हिन्दी प्रचार के लिए विभिन्न प्रकार का प्रशासन संबंधी साहित्य तैयार करना, देवनागरी लिपि एवं वर्तनी का मानकीकरण आदि महत्वपूर्ण कार्य हैं।

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान

अहिन्दी भाषी लोगों को हिन्दी पढ़ाने तथा शिक्षा संबंधी समस्याओं के बारे में विशिष्ट जानकारी एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित केन्द्रीय हिन्दी शिक्षा मण्डल नामक स्वायत्त निकाय के अधीन केन्द्रीय हिन्दी संस्थान की स्थापना सन् 1961 में आगरा में हुई। केन्द्रीय हिन्दी संस्थान में अहिन्दी भाषी छात्रों को द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था है। संस्थान द्वारा एवं साहित्य के क्षेत्रों में अनुसंधान में सहायता करने, सरकारी एवं बैंक अधिकारियों को सेवा माध्यम से हिन्दी अध्ययन की सुविधा प्रदान करने, राज्यों में हिन्दी प्रशिक्षण विस्तार कार्यक्रम संचालित करने, अध्यापकों व प्राध्यापकों को भाषा शिक्षण के आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली में प्रशिक्षित करने के कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं।

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो

1960 से फ़रवरी 1971 तक गैरविधिक नियमों, विनियमों और कार्यविधि

साहित्य के अनुवाद का कार्य शिक्षा मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की देखरेख में किया जा रहा था। मार्च 1971 में इस काम के लिए गृह मंत्रालय में केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई। ब्यूरो को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए :-

1. भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों तथा बैंकों व उपक्रमों के असांविधिक मैनुअलों, संहिताओं, फार्मों तथा अन्य कार्यविधि साहित्य का हिन्दी में अनुवाद।
2. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, बैंकों और उपक्रमों में अनुवाद कार्य में लगे और उससे जुड़े हुए कर्मचारियों को अनुवाद कार्य का अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान करना।
3. केन्द्रीय सरकार के कार्यलयों तथा 'क' और 'ख' क्षेत्रों के राज्यों में प्रयोग होने वाली हिन्दी की प्रशासनिक शब्दावली में समन्वय कार्य करना।

द्विभाषिकता की वर्तमान स्थिति और हिन्दी के बढ़ते हुए प्रयोग को देखते हुए इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि हिन्दी के प्रयोग में अभिव्यक्ति और शब्दावली की एकरूपता हो तथा भारत सरकार की नीति के अनुसार सरल और सुबोध भाषा का प्रयोग हो। इस दृष्टि से ब्यूरो में अनुवाद प्रशिक्षण की योजना शुरु की गई। केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो नई दिल्ली, कलकत्ता, बैंगलोर और मुम्बई में तीन माह के अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। साथ ही 5 दिवसीय संक्षिप्त अनुवाद पाठ्यक्रम भी चलाता है।

केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली

राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार और उसके प्रगामी प्रयोग के लिए राजभाषा विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 21 अगस्त 1985 को की गई। संस्थान के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :-

1. केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों, उद्यमों तथा बैंकों में नए भर्ती होने वाले अधिकारियों एवम् कर्मचारियों के लिए हिन्दी भाषा, हिन्दी टंकण एवम् आशुलिपिक के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

2. राजभाषा कार्यान्वयन और अनुवाद में लगे अधिकारियों एवम् कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन।
3. प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणों को हिन्दी शिक्षण की नई तकनीक की जानकारी देने के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन।

सम्पूर्ण देश में कर्मचारियों के पूर्णकालिक हिन्दी भाषा, हिन्दी टंकण एवम् आशुलिपि के प्रशिक्षण में गति लाने के लिए केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के तीन उपसंस्थान बम्बई, कलकत्ता और बैंगलूर में स्थापित किए गए हैं।

राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए गठित विभिन्न समितियाँ

केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, केन्द्र सरकार के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों का कार्यक्षेत्र चूंकि अत्यन्त विस्तृत है और अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्र में स्थित हैं, ऐसी स्थिति में राजभाषा विभाग के लिए यह जानना बहुत मुश्किल है कि राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में कहाँ कितनी वृद्धि हो रही है और वहाँ हिन्दी के प्रयोग में क्या समस्याएं आ रही हैं। इस कार्य के लिए विभिन्न विभागों, कार्यालयों तथा गैर सरकारी व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए कई स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है :-

1. केन्द्रीय हिन्दी समिति

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय हिन्दी समिति राजभाषा नीति के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश देने वाली सर्वोच्च समिति है। 1981 में इस समिति का पुर्नगठन किया गया था। इस समिति में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त - 9 केन्द्रीय मंत्री, 2 गृह राज्य मंत्री, 8 राज्यों के मुख्यमंत्री, 7 संसद-सदस्य तथा हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के 10 विशिष्ट विद्वान शामिल हैं। राजभाषा विभाग के सचिव एवम् भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार इस समिति के सदस्य सचिव है।

2. हिन्दी सलाहकार समितियां

इन समितियां का गठन विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सम्बन्धित मंत्रियों की अध्यक्षता में किया गया है। इन समिति की बैठकों में सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों की हिन्दी प्रगति की समीक्षा की जाती है और विभाग में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के उपाय निकाले जाते हैं। इन समितियों की बैठक हर तिमाही में एक बार होना आवश्यक है। अब तक 27 मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी सलाहकार समितियां गठित की जा चुकी हैं।

3. केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति

यह समिति राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम 1976 के उपबन्धों के अनुसार सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के हिन्दी प्रशिक्षण और इसके सम्बन्ध में राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है और उनके अनुपालन में पाई गई कमियों और कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में विचार करती है। राजभाषा विभाग के सचिव इस समिति के अध्यक्ष और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं।

4. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां

केन्द्र सरकार के कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों आदि में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए बड़े-बड़े नगरों में जहाँ भारत सरकार के दस या उससे अधिक कार्यालय हैं वहाँ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। इन बैठकों की अध्यक्षता नगर के वरिष्ठतम् अधिकारी करते हैं। वर्ष में दो बार आयोजित होने वाली इन बैठकों में सदस्य कार्यालयों की छमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में नगर के सदस्य कार्यालयों के कर्मचारियों व अधिकारियों के

लिए संयुक्त कार्यशाला, अनुवाद प्रशिक्षण, हिन्दी टंकण एवम् आशुलिपि प्रशिक्षण भी चलाए जाते हैं। कुछ बड़े-बड़े नगरों में बैंक नगर राजभाषा कार्यन्वयन समितियों और उपक्रम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का भी अलग से गठन किया गया है।

राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ

प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में एक-एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति कर गठन किया गया है। यह समिति हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करती है और कमियों को दूर करने के उपाय किए जाते हैं। सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में भी जहाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर यदि कर्मचारियों की संख्या 25 या उससे कम भी है वहाँ राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। इस समिति की हर तिमाही में एक बैठक होनी आवश्यक है। इन बैठकों की अध्यक्षता कार्यालय के अध्यक्ष अथवा वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाती है।

राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में हिन्दी के विकास इतिहास का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि सदियों से भारतीय जनता ने और पिछले लगभग अर्द्धशतक वर्षों से देश की लोकतंत्रीय सरकारों ने हिन्दी को सच्चे अर्थों में राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया। इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए नियमों/अधिनियमों/संकल्पों/आदेशों आदि से यह भी स्पष्ट है कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा हिन्दी के प्रयोग-प्रसार और विकास में सदा लोकतंत्रीय उदारता और सहयोग समन्वय का दृष्टिकोण अपनाया जाता रहा है। इसके बावजूद वर्तमान स्थिति पूर्णतः संतोषप्रद नहीं है। ऊपरी सांचे से यह अवश्य प्रतीत होता है कि भारत की राजभाषा हिन्दी है किन्तु उस सांचे के भीतर की आत्मा हिन्दी की नहीं बल्कि अंग्रेजी की ही लगती है। अज्ञेय ने ठीक ही कहा था-'जब हम राजनीतिक दृष्टि से पराधीन थे तब तो हमारे पास स्वाधीन भाषा थी। अब जब हम स्वाधीन हो गए, हमारी भाषाएं पराधीन हो गईं।' वस्तुतः भाषा का विकास और

उसका पोषण प्रयोग और व्यवहार से होता है और आज सबसे बड़ी समस्या प्रयोग और व्यवहार के स्तर पर उपेक्षा और उदासीनता की है। द्विभाषिक स्थिति (विशेषतः समान्य आदेश आदि में) औपचारिक रूप से तो है परन्तु व्यवहारिक रूप से अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाता है। अधिकांश सरकारी पत्र-व्यवहार अंग्रेजी में चल रहा है क्योंकि हिन्दी या अंग्रेजी के प्रयोग की छूट है।

पहले यह समस्या बताई जाती थी कि हिन्दी में सभी राजकीय कार्यकलाप सम्पन्न करने के लिए उपयुक्त और पर्याप्त पारिभाषिक शब्दावली नहीं है, विधिक और तकनीकी मामलों में हिन्दी प्रयोग में कठिनाई होती है आदि आदि। किन्तु अब विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में ऐसे शब्दकोशों, पारिभाषिक शब्दावलियों और अन्य मानक साहित्य का प्रकाशन हो चुका है कि किसी भी स्तर पर और किसी भी क्षेत्र में हिन्दी में सुगमता से कामकाज हो सकता है। आज टंकण, मुद्रण, कम्प्यूटर तक के क्षेत्र में हिन्दी में हर प्रकार का कार्य सम्भव हो गया है। कम्प्यूटर आज संप्रेषण और संपर्क के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिक निभा रहाहै। हिन्दी के क्षेत्र में मल्टीवर्ड, शब्दरत्न, अक्षर, श्री, प्रकाशक, लीप, वर्ड, लिपि जैसे साफ्टवेयर कम्प्यूटर में कार्य करने के लिए उपलब्ध हैं। राजभाषा विभाग के तकनीकी सेलं तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान संस्थान के सहयोग से जिस्टकार्ड द्वारा हिन्दी में डाटा-एंट्री की तकनीक भी विकसित की गई है। इन्हीं प्रयासों के चलते इसे निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि आज की राजभाषा हिन्दी न केवल शब्दों की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध तथा स्वरूप व शैली की दृष्टि से अत्यन्त सहज व सम्प्रेषणीय हो गई है, बल्कि आधुनिकीकरण (कम्प्यूटरीकरण) व मानकीकरण के क्षेत्र में भी इसका पर्याप्त विकास हुआ है। संक्षेप में कहा जाए तो कार्यालयों में हिन्दी के नाम से जो 'व्यंग्यात्मक मुस्कान' या 'तीखे तेवर' अक्सर दिखाई पड़ते थे उनमें काफी हद तक ह्रास हुआ है और चाहे अनचाहे ही हिन्दी को राजभाषा के रूप में सम्मान देना एक अनिवार्य बाध्यता बन गई है। इसे राष्ट्रीय एकता व उन्नति की दिशा में एक सार्थक उपलब्धि माना जा

सकता है।

राजभाषा के रूप में हुई हिन्दी प्रगति को नकारा नहीं जा सकता। इस दिशा में नीति निर्देशों का योगदान चाहे जो भी रहा हो किन्तु समग्र रूप में उन्होंने हिन्दी के प्रति वातावरण निर्माण में सराहनीय योगदान दिया है। आखिर रुकावटें कहॉ हैं, कैसी हैं और क्यों हैं जो हिन्दी के प्रयोग में आड़े आ रही हैं। इसके लिए मुख्यतः संकोचशीलता की प्रवृत्ति को जिम्मेदार माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त हमारी मानसिकता और हमारी मिथ्या धारणाएं कि हिन्दी में लिखे हुए पत्रों को पर्याप्त महत्व की दृष्टि से नहीं देखा जाता या फिर हिन्दी में लिखते समय अपनी वर्तनी सम्बन्धी अशुद्धियों के पकड़े जाने का भय या यह मानकर चलना कि पत्र को 'पाने वाला' हिन्दी में होने पर समझ नहीं सकेगा तथा पत्रोत्तर मिलना कठिन हो जाएगा आदि हिन्दी के निर्बाध प्रयोग में रोड़ा बनी हुई हैं। एक धारणा यह है कि राजभाषा नीति पूर्णतः व्यापक और सक्षम नहीं हैं और तत्सम्बन्धी नियमों के अनुपालन में चूक करने पर किसी प्रकार का दण्ड नहीं है। किन्तु इस प्रकार की धारणा को राजभाषा अधिनियम नियमों में कुछ आधारभूत परिर्वतनों के द्वारा दूर किया जा सकता है। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप न केवल राजभाषा सम्बन्धी नियमों में कसाव की स्थिति विकसित होगी बल्कि मनोविज्ञानिक रूप से भी राजभाषा के प्रयोग की ढुलमुल शिथिल प्रवृत्ति में अपेक्षित सुधार हो सकेगा। हिन्दी कार्यान्वयन के लक्ष्य में उपेक्षा की स्थिति और संकोच की प्रवृत्ति दोनों ही समानरूप से आड़े आ रही है। अतः यदि उपेक्षात्मक रुख को परिवर्तित करने हेतु सार्थक पहल की जाए तो संकोच की प्रवृत्ति स्वतः ही किसी सीमा तक समाप्त हो सकती है। यह सच है कि भाषा केवल अपनी सामर्थ्य से बढ़ती व विकसित होती है। फिर भी, नियमों में यथावश्यक परिवर्तन करते हुए यदि एक स्वस्थ मानसिक वातावरण का निर्माण किया जाए तो सच्चे अर्थों में राजभाषा के रूप में हिन्दी स्वयं ही समुचित प्रतिष्ठा अर्जित कर लेगी इसमें संदेह नहीं।